कार्यालय सहायक अभियन्ता (वितरण)
अ. वि. वि. नि. लि. रावतभाटा
स. अभि./ अ. वि. वि. नि. लि./ रा.भाटा/
क्रमांक 2810 दिनांक 23-12-2020

Date: 07/12/2020

To,

Deputy Conservator of Forest

Chittorgarh

Subject: Compliance Report of Received EDS Letter regarding Forest diversion Proposal No. **FP/RJ/TRANS/40778/2019**

Ref.: Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Regional Office (Central Region), Aliganj Lucknow (Uttar Pradesh) Letter No. 8B/RAJ/04/34/2020/FC/925 dated 25/09/2020 and Deputy Conservator of Forest office letter no. F ( ) F.C.A./DCF/2020-21/6948 dated 29.10.2020.

Dear Sir,

With reference to above mentioned Subject, We have received the EDS Letter Regarding Forest Diversion Proposal No. FP/RJ/TRANS/40778/2019 vide letter No. 8B/RAJ/04/34/2020/FC/925, dated 29/09/2020 for "**Construction of 33 KV Transmission Line Lothiyana GSS to Proposed 33/11 KV Mandesara GSS, Tehsil- Rawatbhata, District - Chittorgarh (Raj.)**"

We are herewith submitting the point wise reply for your reference and further Processing Please.

Point Wise Compliance Report of Forest Diversion Proposal No.: FP/RJ/TRANS/40778/2019

Sr No.	EDS Observation by Forest Department	Reply by User Agency
1.	As the proposed Transmission line is within 1 Km. of Protected area (as per Site Inspection Report of DFO and Part II of proposal) comments of CWLW are required.	We hereby undertake that, We have submitted the request letter to Chief Wildlife Warden for Comments and we will submit the same once we received from CWLW.
2.	NOC of concerned department needs to be provided.	We hereby undertake that we are not crossing any Railway line, National Highway or Canal's therefore concern department NoC is not applicable.
3.	Muck disposal scheme needs to be submitted.	We hereby undertake that, No Muck shall be generated due to construction of 33 KV Transmission line. Undertaking enclosed.
4.	KML file of alternative route needs to be provided.	Alternative route KML file CD is enclosed.
5.	As per DSS analysis, the proposed transmission line is passing through Protected area. This needs clarification.	We hereby undertake that we have proposed the 33 KV Transmission outside the Protected area but Proposed transmission line is passes through the ESZ area as there is no any other alternative is feasible.

Enclosed - 05 Nos CD

पॅच प्रति
पत्रावली हेतु
23.12.2020

Place: Rawatbhata
Date: 07/12/2020

पेषक लिपिक-
कार्यालय उप वन संरक्षक
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature of User Agency
With Office Seal
Assistant Engineer (O&M)
A.V.V.N.L. Rawatbhata

Scanned with CamScanner

कार्यालय सहायक अभियन्ता (वितरण)
अ. वि. वि. नि. लि. रावतभाटा
स. अभि./ अ. वि. वि. नि. लि./ रा.भाटा/
क्रमांक 2803 दिनांक 18-12-20

क्रमांक :   दिनांक :

निमित्तः—
अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक महोदय,
अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र
जयपुर (राज0)

विषय :— लोटीयाना जी.एस.एस. से मण्डेसरा जी.एस.एस. तक प्रस्तावित 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन हेतु आवश्यक 11.8905 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव हेतु वन्य जीव टीप्पणी/अन्नापत्ती जारी करने बाबत्।

संदर्भ :— भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु, परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्र क्रमांक 8B/Raj/04/34/2020/FC/925 दिनांक 25.09.2020 एवं उप वन संरक्षक, चित्तौड़गढ (राज0) के पत्र क्रमांक : एफ ( ) एफ.सी.ए./उवसं/2020—21/6948 दिनांक : 29/10/2020 के क्रम में।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि सचिव वन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा लोटीयाना जी.एस.एस. से मण्डेसरा जी.एस.एस. तक प्रस्तावित 33 केवी ट्रांसमिशन लाइन हेतु आवश्यक 11.8905 है0 वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किये गये थे।

उक्त प्रस्ताव का वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अवलोकन उपरान्त कुछ अतिरिक्त जानकारिया मांगी गई है। चुकि प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाइन भैंसरोडगढ वन्यजीव अभयारण्य के ESZ क्षेत्र से गुजर रही है जिसमें बिन्दु क्रमांक 1 की अनुपालना में वन्यजीव के बारे में टिप्पणी/अनापत्ति मांगी गई है। अतः महोदय से निवेदन है कि प्रस्तावित लाइन के लिये वांछित टिप्पणी/ अनापत्ति उपलब्ध करवाने का कष्ट करें। ताकि लम्बे समय से लम्बित परियोजना की स्वीकृती सक्षम स्तर से प्राप्त कर परियोजना का कार्य समय पर सम्पादित करवाया जा सके।

उक्त प्रस्ताव जनोपयोगी कार्यो के लिए है एवं इसमें पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नही है अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में वन्य जीव अनापत्ति जारी करने का कष्ट करें।

सलंग्न :—
1. भारत सरकार द्वारा जारी ई.डी.एस. पत्र की प्रतिलिपि।
2. उपवन संरक्षक चित्तौड़गढ द्वारा जारी ई.डी.एस. पत्र की प्रतिलिपि।
3. वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ESZ क्षेत्र में वन्यजीव स्वीकृति की छुट का दिशा निर्देश।
4. प्रस्तावित ट्रांसमिशन लाइन एवं भैंसरोडगढ वन्यजीव अभयारण्य को दर्शाते हुए भारतीय सर्वेक्षण विभाग का 1:50000 स्केल का मानचित्र।

21/12/20

पत्र प्राप्ति
क्रमांक ....
दिनांक ....

भवदीय

सहायक अभियन्ता (वितरण)
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,
Assistant Engineer (O&M)
A.V.V.N.L. Rawatbhata

Scanned with CamSca